

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय :-

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी 38 बन्दोबस्त कार्यालयों एवं 02 प्रशिक्षण संस्थानों यथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया/शास्त्रीनगर में विभिन्न पदों को पुर्नआवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश संख्या-1885, दिनांक-16.10.2015 के द्वारा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के लिए चिन्हित नियमित स्थापना के कुल-364 पदों (निम्नवर्गीय लिपिक-244, उच्चवर्गीय लिपिक-80, प्रधान लिपिक-31 एवं कार्यालय अधीक्षक-09) एवं नियमित स्थापना के कार्यालय परिचारी के 493 पदों को निम्न प्रकार भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी 38 बन्दोबस्त कार्यालयों एवं 02 प्रशिक्षण संस्थानों यथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया/शास्त्रीनगर के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुर्नआवंटित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार जिलों में स्थित बन्दोबस्त कार्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उक्त जिलों में अंचलों की संख्या एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रासंगिक पत्रों में निहित निदेश के आलोक में पदों का पुर्नआवंटन निम्नवत किया जाता है :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचलो की संख्या	कार्यालय परिचारी	निम्नवर्गीय लिपिक	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रधान लिपिक	अधीक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नालन्दा	20	19	9	3	1	-
2	सारण	20	19	9	3	1	1
3	भागलपुर	16	15	7	2	1	1
4	मुंगेर	9	08	5	2	1	1
5	शेखपुरा	6	05	3	1	-	-
6	बेगूसराय	18	17	8	2	1	-
7	लखीसराय	7	06	3	1	-	-
8	खगड़िया	7	06	3	1	-	-
9	जमुई	10	07	4	1	1	-
10	सिवान	19	18	8	3	1	-
11	पूर्णियाँ	14	13	6	2	1	1
12	कटिहार	16	15	7	2	1	-
13	मोतिहारी	27	20	12	4	1	-

14	गोपालगंज	14	13	6	2	1	—
15	किशनगंज	7	06	3	1	—	—
16	अररिया	9	08	4	1	1	—
17	पटना	23	23	11	4	1	1
18	भोजपुर	14	13	6	2	1	—
19	बक्सर	11	12	5	2	1	—
20	सहरसा	10	09	4	1	1	1
21	मधेपुरा	13	12	5	2	1	—
22	सुपौल	11	10	5	2	1	—
23	बेतिया	18	17	7	2	1	—
24	मुजफ्फरपुर	16	15	7	2	1	1
25	वैशाली	16	12	7	2	1	—
26	रोहतास	19	15	9	3	1	—
27	कैमूर	11	10	5	2	1	—
28	अरवल	5	04	2	1	1	—
29	औरंगाबाद	11	10	5	1	—	—
30	गया	24	19	11	4	1	1
31	जहानाबाद	7	06	3	1	—	—
32	नवादा	14	13	6	2	1	—
33	बांका	11	10	5	1	1	—
34	दरभंगा	18	17	7	2	1	1
35	मधुबनी	21	16	9	3	1	—
36	समस्तीपुर	20	15	9	3	1	—
37	सीतामढ़ी	13	12	5	2	1	—
38	शिवहर	9	08	4	1	—	—
39	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोध गया	—	10	5	2	—	—
40	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर	—	10	5	2	—	—
कुल योग :-		534	493	244	80	31	9

2. पदों के पुर्नआवंटन के पश्चात् स्वीकृत पदों/कर्णांकित पदों के विरुद्ध पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन का भुगतान राज्यादेश संख्या-314, दिनांक-27.02.2019 की कंडिक-7 में अंकित बजट मुख्य शीर्ष- 2029- भू-राजस्व- उपमुख्य शीर्ष- 00- लघुशीर्ष- 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य- उपशीर्ष- 0101 - सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण, मांग संख्या-40 विपत्र कोड संख्या- 40 2029001020101 राज्य-योजना स्कीम कोड-5536 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।
3. प्रमण्डल मुख्यालय के जिलों में अवस्थित 09 बन्दोबस्त कार्यालय में अधीक्षक का पद होगा शेष कार्यालयों में प्रधान लिपिक का पद रहेगा।
4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
5. यह आदेश दिनांक-01.07.2020 की तिथि से प्रभावी होगा।

(जय सिंह)
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17- स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) - 337/2015/105/2 पटना, दिनांक :- 20.8.2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17- स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) - 337/2015/105/2 पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी / प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया/सभी कोषागार/उप कोषागार, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17- स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) - 337/2015/105/2 पटना, दिनांक :- 20.8.2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण